

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि

न रिकार्ड का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2056 से 59 तक 5 रकबा 1/4 में खेतदार हरसदाय पुत्र ग्यारसा दर्ज था जो मूलचक्रानुसार जमाबन्दी जदमिल करते समय हरबक्स पुत्र ग्यारसा का फिलदाल चालु जमाबन्दी में नये ख.न. 9 रकबा 0.08 हेक्टेयर की हरबक्स पुत्र ग्यारसा ही चला आ रहा है।
LR ACT की धारा 136 के तहत उकरण से हरबक्स पुत्र ग्यारसा के बजाय हरसदाय पुत्र ग्यारसा शुद्ध किया जाना

~~24-6-18~~
ज.प. सानकोटा
पु.स. 11/12
ग. (र. ग.ग.)
25-8-18

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

स. खण्ड उपकारि मधो वध
(उपकारागार कर्म - भावनी)

मूल रिपोर्ट 20 अक्टूबर 1956 भावनी, प.स. - सानकोटा, उपकार (जगदीश) उपकारागार, मूलचक्रानुसार विरदा व शम सदाय पुत्र ग्यारसा के अनुसार उपकार पुत्र ग्यारसा के बजाय हरसदाय पुत्र ग्यारसा शुद्ध किया जाये।

25-2-18
सरकार

तहसीलदार (भू.अ.)
जयधरामगढ़

आदेश

दिनांक 25/6/18

मुलाधिक तहसीलदार जयधरामगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार सुस्त करने के आदेश तहसीलदार जयधरामगढ़ को दिये जाते हैं तदनुसार राजस्व रिकार्ड में आगल करें।

स. खण्ड उपकारि
जयधरामगढ़